संयुक्त निरीक्षण आख्या–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/158, दिनांक 01.05.2025 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 40/12–1, दिनांक 03.07.2025 के क्रम में आज दिनांक 11.07.2025 को जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण वन विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मौका स्थलीय निरीक्षण की आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3.325 किमी0 है, जिसमें मसूरी वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत 0.2975 है0 आरक्षित वन भूमि है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसमें मसूरी वन प्रभागान्तर्गत कुल 69 विभिन्न व्यास वर्ग प्रजाति के वृक्षों का छपान एवं पातन किया गया है।

2. मोटर मार्ग के संरेखण का भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण, जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनों तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। तत्समय उसी संरेखण में मोटर मार्ग में बॉधित वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गयी है, उन्हीं 69 बॉधक वृक्षों का पातन किया गया है एवं उसी संरेखण में मोटर मार्ग में कटिंग कार्य किया जाना पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान एवं पातन स्वीकृत संरेखण में ही किये जाने की पुष्टि की गई है, मौके पर स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नहीं किया जाना पाया गया है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित एवं राष्ट्रहित के विकास हेतु आवश्यक है।

वन बीट अधिकारी, बॉदल प्रथम बीट	अनुभाग अधिकारी, बॉदल अनुभाग	वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर राजि	अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी
सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग	प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– २८२१ / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः २९ मई, 2025

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषयः– जनपद–टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 30 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/23941/2017)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र संख्या 8B/UCP/06/63/2019/FC/158 दिनांक 01.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.5.2025 को प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्न बिन्दु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है–

1- The concerned Divisional Forest Officer (DFO) shall submit an inspection report confirming that the tree felling has been carried out strictly within the approved alignment, and that there is no deviation from the sanctioned alignment.

अतः उपरोक्त बिन्दु के क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)